



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 16.03.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 0210/2024 धारा 147/148/149/152/336/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक हॉकी व लकड़ी के डंडे बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.03.2024 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि प्रथम पक्ष के अभियुक्त 1. नईम पुत्र अमीरुद्दीन, 2. आरिस पुत्र शकील, 3. सलमान पुत्र शौकत 4. वसीम पुत्र अमीरुद्दीन, 5. शकील पुत्र



अमीरुद्दीन, 6.शौकत, 7.गुल्लू पुत्र अमीरुद्दीन समस्त निवासीगण मौहल्ला केतीपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत तथा द्वितीय पक्ष के 1.जमाल पुत्र हाजी मकसूद, 2.आरिफ पुत्र मकसूद, 3.शोएब पुत्र मोबिन, 4. उमर पुत्र जमीन, 5.बबलू पुत्र जमील, 6.सावेज पुत्र जमील, 7.अनस पुत्र जमील समस्त निवासीगण केतीपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत आपस में अपने-अपने हाथों में लाठी-डण्डे, धारदार हथियार व अवैध तमंचे लेकर आपस में एक दूसरे को जान से मारने कि नियत से फायरिंग तथा मारपीट, गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए आपस में भीड रहे थे । पुलिस व जनता के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं माने और झगडा करने लगे । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0210/2024 धारा 147/148/149/152/336/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 210/2024 धारा 147/148/149/152/336/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक हॉकी व लकड़ी के डंडे बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-सलमान पुत्र शौकत निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-आरिस पुत्र शकील निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-आरिफ पुत्र हाजी मकसूद निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।
- 4-नईम पुत्र अमीरुद्दीन निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।
- 5-जमील पुत्र हाजी मकसूद निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।
- 6-शोएब पुत्र मोमिन निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक हॉकी।
- चार लकड़ी के डंडे।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 214 उमेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 12 धीरज कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 5-का0 369 विशाल पंवार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 6-का0 732 रोबिन कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 16.03.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ब्रजपाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम शोभापुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-का0 938 जसवन्त सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 16.03.2024

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया विक्की उर्फ विक्रांत व उसके गैंग के सदस्य हरेन्द्र उर्फ फेरू व हरेन्द्र उर्फ योगेन्द्र उर्फ बिट्टू को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष के कारावास व 2,00,000/-2,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया विक्की उर्फ विक्रांत पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम सुनहैड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत व उसके गैंग सदस्य हरेन्द्र उर्फ फेरू पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत व हरेन्द्र उर्फ योगेन्द्र उर्फ बिट्टू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर वर्ष-2014 में मु0अ0सं0 208/14 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा आरोपी विक्की उर्फ विक्रांत व उसके गैंग के सदस्य हरेन्द्र उर्फ फेरू व हरेन्द्र उर्फ योगेन्द्र उर्फ बिट्टू को दोषी करार देते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष के कारावास व 2,00,000/-2,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त विक्की उर्फ विक्रांत के विरुद्ध जनपद बागपत, आगरा, मेरठ तथा दिल्ली व मध्यप्रदेश सहित कई प्रदेशों में संगीन धाराओं में 23 अभियोग जिसमें गैंगस्टर, हत्या, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत हैं तथा हरेन्द्र उर्फ फेरू पर हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एवं आर्म्स एक्ट आदि के संगीन धाराओं में 14 अभियोग व हरेन्द्र उर्फ योगेन्द्र पर हत्या, गैंगस्टर एवं आर्म्स एक्ट आदि के संगीन धाराओं में 03 अभियोग पंजीकृत हैं। शेष अभियोगों में भी मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभारी

पैरवी कर मा0 न्यायालय से दण्डित कराया जाएगा । बागपत पुलिस शेष माफियाओं के विरुद्ध भी कार्यवाही हेतु कटिबद्ध है ।

उक्त गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में विककी उर्फ विक्रांत की 16 लाख 52 हजार की सम्पत्ति धारा 14 (1) के अन्तर्गत कुर्क की जा चुकी है ।

चिन्हित माफिया विककी उर्फ विक्रांत का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	851 / 09	25 आर्म0 एक्ट	बागपत	बागपत
2	458 / 13	302 भादवि	बागपत	बागपत
3	35 / 14	25 / 27 आर्म0 एक्ट	बागपत	बागपत
4	208 / 14	2 / 3 गैंग0 एक्ट	बागपत	बागपत
5	881 / 14	307,120बी भादवि	बागपत	बागपत
6	287 / 21	147,504,506,427 भादवि	खेकडा	बागपत
7	263 / 15	307 भादवि	इन्द्रापुरम	गा0बाद
8	264 / 15	25 / 27 आर्म0 एक्ट	इन्द्रापुरम	गा0बाद
9	13 / 14	174ए. भादवि	बागपत	बागपत
10	851 / 14	223,224 भादवि	शाहगंज	आगरा
11	272 / 03	406,411,34 भादवि	करोल बाग	दिल्ली
12	175 / 05	308,365,452,506,34 भादवि	बसन्त कुंज नार्थ	दिल्ली
13	185 / 11	457 / 380 भादवि	गुजालपुर	शाजापुर मध्यप्रदेश
14	468 / 09	304 भादवि व 25 / 27 आर्म0 एक्ट	गुजालपुर	शाजापुर मध्यप्रदेश
15	945 / 09	392,411,171 भादवि	बडौत	बागपत
16	152 / 97	323,324,504,506 भादवि	खेकडा	बागपत

17	552 / 02	406,420,34 भादवि	करोल बाग	दिल्ली
18	268 / 03	307,353,332,186,411,34 भादवि व 25 / 27 / 54 / 49 आर्म्स एक्ट	बवाना	दिल्ली
19	655 / 09	302,307 भादवि	दौराला	मेरठ
20	1815 / 13	307 भादवि	साहिबाबाद	गा0बाद
21	512 / 10	110 जी द0प्र0सं0	खेकडा	बागपत
22	627 / 10	3 यू0पी0 गुंडा अधि0	खेकडा	बागपत
23	70 / 23	307 / 504 / 506 / 120बी भादवि	बडौत	बागपत

आरोपी हरेन्द्र उर्फ फेरू का आपराधिक इतिहास-

क्र0स	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	259 / 07	504 / 506 भादवि	बागपत	बागपत
2	458 / 13	302.504.120बी.34 भादवि	बागपत	बागपत
3	499 / 13	25 / 54 / 59 आर्म्स एक्ट	बागपत	बागपत
4	208 / 14	2 / 3 गैंग अधि0	बागपत	बागपत
5	881 / 14	307.120बी भादवि	बागपत	बागपत
6	296 / 15	25 आर्म्स एक्ट	बागपत	बागपत
7	590 / 18	395.397 भादवि व 3 / 25 आर्म्स एक्ट	कोटपुतली राजस्थान	राजस्थान
8	759 / 21	323.504.506. भादवि व 3(1)ध एससीएसटी एक्ट	बागपत	बागपत
9	395 / 21	323.504.506 भादवि	खेकडा	बागपत
10	459 / 21	306 भादवि	खेकडा	बागपत
11	778 / 22	504.506 भादवि	बागपत	बागपत
12	963 / 22	307.504.506 भादवि व 25 / 54 / 59 आर्म्स एक्ट	बागपत	बागपत

13	70 / 23	307.504.506 भादवि व	बडौत	बागपत
14	228 / 23	504.506.भादवि	बागपत	बागपत

आरोपी हरेन्द्र उर्फ बिट्टू का आपराधिक इतिहास-

क्र०स	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
1	208 / 14	2 / 3 गै०ए०	बागपत	बागपत
2	458 / 13	302 भादवि	बागपत	बागपत
3	497 / 13	25 / 27 आर्म्स एक्ट	बागपत	बागपत

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

1-विक्की उर्फ विक्रांत पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम सुन्हैड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत (एचएस नं०-671ए)

(10 वर्ष का कारावास व 2,00,000/- रुपये अर्थदण्ड)

2- हरेन्द्र उर्फ फेरू पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

(10 वर्ष का कारावास व 2,00,000/- रुपये अर्थदण्ड)

3- हरेन्द्र उर्फ योगेन्द्र उर्फ बिट्टू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत । (एचएस नं०-1ए)

(10 वर्ष का कारावास व 2,00,000/- रुपये अर्थदण्ड)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 16.03.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 34/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 महिला अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की गई 01 बकरी व घटना में प्रयुक्त 01 गाडी अर्टिका नं0 HR-06 AV-8997 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.02.2024 को थाना बालैनी पर वादी मौहम्मद उमर पुत्र इसाक निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसकी बकरी जंगल ग्राम दौलतपुर में चरने के लिए गयी थी, जहाँ से कुछ अज्ञात अभियुक्तों द्वारा अर्टिका गाडी नं0 HR-



06AV-8997 से उसे चोरी कर लिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 34/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 34/24 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 महिला अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई 01 बकरी व घटना में प्रयुक्त 01 गाडी अर्टिका नं0 HR-06AV-8997 बरामद हुए हैं ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-फुरकान पुत्र नसरुद्दीन निवासी मौ० पीरखाँ थाना गुलाबटी जनपद बुलन्दशहर

हाल पता केला खेडा थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद ।

2-मुज्जमिल उर्फ समीर पुत्र इमरान निवासी अशोक विहार कालोनी थाना किला पानीपत हरियाणा ।

3-एक महिला ।

बरामदगी का विवरण-

● चोरी की गई 01 बकरी ।

● घटना में प्रयुक्त 01 गाडी अर्टिका नं० HR-06AV-8997

अभियुक्त फुरकान का आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 0055/24 धारा 379 भादवि थाना थाना भवन जनपद शामिली ।

2-मु०अ०सं० 127/23 धारा 380 भादवि थाना कोशली जनपद रेवाडी हरियाणा ।

3-मु०अ०सं० 0118/24 धारा 21/8 एनडीपीएस थाना सरोजनी नगर लखनऊ दक्षिणी ।

4-मु०अ०सं० 0295/22 धारा 379/411/420 भादवि थाना दनकौर जनपद ग्रेटर नोएडा ।

5-मु०अ०सं० 0014/22 धारा 411/414/482 भादवि थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

6-मु०अ०सं० 0016/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद ।

7-मु०अ०सं० 1028/21 धारा 392/411 भादवि थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद ।

8-मु०अ०सं० 1060/21 धारा 392/411 भादवि थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद ।

9-मु०अ०सं० 0349/21 धारा 380/411 भादवि थाना बिसरख जनपद कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

10-मु०अ०सं० 0387/21 धारा 414 भादवि थाना बिसरख जनपद कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व०उ०नि० श्री सागर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3-है०का० 440 राशिद थाना थाना बालैनी जनपद बागपत ।

4-का० 1037 अभिषेक यादव थाना बालैनी जनपद बागपत ।

5-म०का० 744 रजनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।